राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2831/2025

विमल कुमार मौर्य —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.05.2025
आदेश की दिनांक : 04.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. निगम, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में नेत्र सहायक के पद पर भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.03.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से निदेशक जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर में किया जाकर कार्यमुक्त किया गया। उनका कथन है कि बिना किसी सक्षम स्तर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश पारित किये बिना ही कार्यमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश को माननीय अधिकरण में चुनौती दी। माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 03.05.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा आदेश दिनांक 19.03.2024 पर रोक लगा दी। आदेश दिनांक 30.09.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 356.15.00 की क्रियान्वति अन्तर्गत सेटेलाईट चिकित्सालय मोतीडूंगरी, जयपुर में 14 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें नेत्र सहायक का पद शामिल किया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 24.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेटेलाईट चिकित्सालय

मोतीडूंगरी, जयपुर में नेत्र सहायक का पद सृजित किया गया है उक्त पद पर अपीलार्थी का पदस्थापन कर दिया जाय। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदिनांक तक अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी वर्तमान में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर में बिना पद कार्यरत है तथा अपीलार्थी का सेटेलाईट चिकित्सालय मोतीडूंगरी, जयपुर में नेत्र सहायक के नवसृजित पद पर समायोजन किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष